सत्यमेव जयते

कुलाधिपति

Chancellor

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,

...............University,

राज भवन, जयपुर – 302006

Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.47(1)आरबी / 2013 / 2305

दिनांक : 11 मार्च, 2019

आदेश

डॉ0 पी.एस. राठौड को राजभवन के आदेश क्रमांक एफ.47(1)आरबी / 2013 / 1923 दिनांक 10.03.2016 द्वारा श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम 2013 की धारा 25(1) व 25(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के पद पर कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया था। उक्त आदेश की पालना में डॉ0 पी.एस. राठौड द्वारा दिनांक 12.03.2016 को मध्याह्न पूर्व कार्यभार ग्रहण किया गया। डॉ0 पी.एस. राठौड की कुलपति के पद की सेवा अवधि दिनांक 11.03.2019 को पूर्ण होने जा रही है।

उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 2013 की धारा 25(1) के अंतर्गत नियमित कुलपति की नियुक्ति में समय लगने की संभावना है।

अतः मैं, कल्याण सिंह, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 2013 की धारा 25 (5) व 25(6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह से डॉ. बलराज सिंह, कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को अग्रिम आदेशों तक अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, अस्थाई व्यवस्था अन्तर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के कुलपति पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

हस्ता. / –

(कल्याण सिंह)

राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक: एफ.47(1)आरबी / 2013 / 2306-12

दिनांक: 11 मार्च, 2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. डॉ0 पी.एस. राठौड, कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
5. डॉ. बलराज सिंह, कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. कुलसचिव, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
7. कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।

प्रभारी अधिकारी, उच्च शिक्षा